मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 21-4-90 में अधिकारियों की उपस्थिति :-

क्र०सं०	अधिकारी का नाम व पद	हस्ताक्षर
1 ✓	श्री. एस. एस. पांगती आयुक्त गढ़वाल मण्डल	[signature]
2 ✓	सुभाष चन्द्र बहुखण्डी जिलाधिकारी देहरादून	[signature]
3	आर०एस० श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव, वित्त विभाग उ०प्र० शासन	[signature]
4 ✓	दीनानाथ [illegible] नगरपालिका देहरादून	[signature]
5	[illegible] हरबंस कपूर विधायक	[signature]
6	[illegible]	[signature] ✓
7	[illegible]	[signature]
8	डा० एच० एस० यदुवंशी संयुक्त निदेशक, पर्यावरण निदेशालय उ०प्र०, लखनऊ	[signature]
9	के. एल. साह, सहायक निदेशक पर्यटन [illegible]	[signature]
10	डा० सुनील सैनन [illegible] मसूरी	[signature]

30

50

मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 21-4-90 में सदस्यों/अधिकारियों की उपस्थिति :-

	एस०एस०पांगती, आयुक्त गढ़वाल मण्डल	--- अध्यक्ष
	श्री इफ्तखारूद्दीन, उपाध्यक्ष, म०दे०वि०प्रा०	--- उपाध्यक्ष
	श्री प्रताप सिंह, जिलाधिकारी, देहरादून	--- सदस्य
	श्री सुभाषचन्द्र बहुखण्डी, संयुक्त सचिव, आवास विभाग, उ०प्र०शासन, लखनऊ	--- सदस्य
5-	श्री आर०एम०श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।	--- सदस्य
6-	श्री सुभाष कुमार, विशेष सचिव, पर्वतीय विकास, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।	--- सदस्य
7-	श्री हरेकृष्ण शर्मा, वरिष्ठ नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग उ०प्र० लखनऊ ।	--- सदस्य
8-	डॉ० एच०एस०यदुवंशी, संयुक्त निदेशक, पर्यावरण निदेशालय उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।	--- सदस्य
9-	श्री पी०के०शर्मा, अधीक्षण अभियन्ता, सा०नि०वि०, देहरादून	--- सदस्य
10-	श्री आर०एस०थापा, वन संरक्षक, यमुना वृत्त, देहरादून	--- सदस्य
11-	श्री दीनानाथ सलूजा, अध्यक्ष, नगरपालिका, देहरादून	--- सदस्य
12-	श्री जोत सिंह, अध्यक्ष, नगरपालिका, मसूरी	--- सदस्य
13-	श्री महेन्द्र कुमार, अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र०जल निगम	--- सदस्य (प्रतिनिधि)
14-	श्री के०एल०शाह, सहायक निदेशक (पर्यटन), मसूरी	--- सदस्य (प्रतिनिधि)
15-	श्रीमती रीता विशाल, प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, दे०दून	--- सदस्य (प्रतिनिधि)

विशेष आमंत्रित :-

1- श्री हरबंश कपूर, नगर विधायक, देहरादून ।
2- श्री रनजीत सिंह वर्मा, विधायक, मसूरी क्षेत्र ।
3- डॉ० सुनील सैनन, विमल कुटीर, मसूरी ।

अन्य उपस्थित :-

1- श्रीमती सुनिष्ठा सिंह, सचिव, मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण ।
2- श्री डी०एस०मनराल, संयुक्त सचिव, मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण ।
3- श्री बृज०बी०रतन, सहयुक्त नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग उ०प्र०, देहरादून ।
4- श्री त्रिभुवन सिंह, वरिष्ठ नगर नियोजक, मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण ।
5- श्री मुकुल हटवाल, सहायक नगर नियोजक, मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण ।
6- श्री एन०एस०रावत, सहायक अभियन्ता, मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण ।
7- श्री यशपाल शर्मा, सहायक अभियन्ता, मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण ।
8- श्री वी०एम०उनियाल, सहायक लेखाधिकारी, मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण ।
9- श्री बी०एस०भण्डारी, कार्यालय अधीक्षक, मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण ।

गत बैठक की कार्यवाही व अनुपालन आख्या पढ़ी गयी । कार्यवाही की
ष्ट स्वस्प आयुक्त/अध्यक्ष महोदय द्वारा कार्यवाही पुस्तिका में हस्ताक्षर किए गए ।

गत बैठक की अनुपालन आख्या इस टिप्पणी के साथ अनुमोदित की गयी
राजपुर रोड़ प्लाट संख्या-57/19 शिवा पैलेस (व्यवसायिक दूकानों) के निर्माण
नचित्र के सम्बन्ध में अगली बैठक में विस्तार से विचारविमर्श करने हेतु मामला पुनः
तुत किया जाए ।

षय क्रमांक- 1 :- भवन मानचित्रों तथा वादों की स्थिति ।

भवन मानचित्रों एवं वादों की निस्तारण की प्रगति पर सन्तोष प्रकट
या गया । इस सम्बन्ध में यह भी निर्देश दिए गए कि भवन मानचित्रों के निस्तारण
भविष्य में स्वीकृत एवं अस्वीकृत हुए मानचित्रों का पूर्ण विवरण भी तालिका के रूप
रस्तुत किया जाए ।

(कार्यवाही सचिव)

य क्रमांक-2 :- मसूरी में आवासीय निर्माण हेतु विकास शुल्क की दरें निर्धारित करने के सम्बन्ध में ।

इस बिन्दु पर विचार करते समय अध्यक्ष, नगरपालिका, मसूरी उपस्थित
थे । अतः सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि विकास शुल्क की दरें
रित करने हेतु निम्नलिखित अधिकारियों की एक समिति गठित की जाती
जो अपनी आख्या/संस्तुति प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत करेगी :-

अध्यक्ष, नगरपालिका, मसूरी ।
परगनाधिकारी, मसूरी ।
वरिष्ठ नगर नियोजक, म0दे0वि0प्रा0 ।
सहयुक्त नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग उ0प्र0, देहरादून ।
इस बैठक की संयोजक सचिव, म0दे0वि0प्रा0 होंगी ।

(कार्यवाही सचिव)

क्रमशः:----------2,

य क्रमांक-3 :- अनधिकृत कालोनियों के नियमितीकरण के सम्बन्ध में ।

सिद्धान्त रूप से प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गई तथा यह निर्देश
य गये कि नियमितीकरण के प्रत्येक मामलें को प्राधिकरण की बैठक के समक्ष रखा
। नियमितीकरण निम्न सिद्धान्तों के आधार पर किया जायेगा :-

केवल आवासीय भूउपयोग जोन में ही नियमितीकरण किया जायेगा ।

सम्बन्धित कालोनी के सभी भूखण्डधारक एक साथ अपने भवन मानचित्र प्राधिकरण में स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेगें ताकि उनसे एक साथ ही समान दर पर विकास व्यय वसूल किया जा सके ।

विकास शुल्क की दर की गणना स्थल पर होनेवाले वास्तविक विकास कार्यों के अनुमानित मूल्य पर आधारित होगी ।

सामुदायिक सुविधाओं, ओपन एरिया इत्यादि की कमी का मूल्य भूखण्डधारकों से विकास व्यय के साथ ही वसूल किया जायेगा ताकि इन कमियों का यथासंभव निकटवर्ती स्थान पर प्राविधान किया जा सके ।

(कार्यवाही स०न०नि०/व०न०नि०)

य क्रमांक-4 :- प्राईवेट कालोनियों के लेआउट प्लानों की स्वीकृति के संबंध में ।

सन्दर्भित शासनादेशों को देहरादून विकास क्षेत्र में लागू किए जाने की
व्यवहारिकता से लगभग सभी सदस्य सहमत थे । श्री एस०सी०बहुखण्डी, संयुक्त सचिव,
ास विभाग, उ०प्र०शासन ने बताया कि इन शासनादेशों में संशोधन की कार्यवाही
से ही शासन के विचाराधीन है । प्राधिकरण की पिछली बैठक दिनांक 12-12-89
दिनांक 21-9-89 से पूर्व जमा लेआउट प्लानों को पूर्व नियमों के अनुसार स्वीकृत
जाने के बारे में निर्णय लिया जा चुका है । 21-9-89 के बाद जमा लेआउट
नों के बारे में निर्देश दिये गये कि इन शासनादेशों की अव्यवहारिकता का
ादून के परिपेक्ष्य में विवरण देते हुए शासन से छूट देने के लिए अनुरोध कर लिया
परन्तु इन शासनादेशों का उल्लघंन करके कोई लेआउट प्लान स्वीकृत न किया
। चूंकि सन्दर्भित शासनादेश 5 एकड़ से अधिक व 12.5 एकड़ से कम भूमि पर
गू होगे, अत: 5 एकड़ से कम के ले-आउट प्लानों को पूर्ववर्ती नियमों के
ही स्वीकृत किया जाए ।

(कार्यवाही वरिष्ठ नगर नियोजक)

क्रमश:----------3,

विषय क्रमांक-5 :- प्राधिकरण की योजनाओं के लेआउट प्लानों की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

डालनवाला व निरंजनपुर-कांवली, अजबपुरकलां, नेहरूपुरम, देहरादून के लेआउट प्लानों पर स्वीकृति प्रदान की गयी । यह भी निर्णय हुआ कि शेष लेआउट प्लानों पर भी सहयुक्त नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग उ०प्र०, देहरादून से राय ले ली जाए ।

(कार्यवाही सहायक नगर नियोजक/वरिष्ठ नगर नियोजक)

विषय क्रमांक-6 :- वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने हेतु उपाध्यक्ष/सचिव को अधिकृत करने के सम्बन्ध में ।

वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने एवं अनुबन्ध-पत्र आदि पर हस्ताक्षर करने हेतु सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष/सचिव को अधिकृत किया गया ।

विषय क्रमांक-7 :- संयुक्त सचिव, मसूरी के पद का सृजन व उनके स्टाफ की नियुक्ति ।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया ।

विषय क्रमांक-8 :- दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की वेतन दरों में वृद्धि किए जाने के सम्बन्ध में ।

इस मामले पर सर्वसम्मति से निम्नानुसार दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की दरों में वृद्धि का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया :-

क्रमांक	पद नाम	वर्तमान में दी जा रही दरें ।	वृद्धि उपरान्त स्वीकृत दरें ।
1-	उद्यान निरीक्षक	30/-	35/-
2-	लिपिक वर्ग	20/-	25/-
3-	सर्वे असिस्टेंट	18/-	23/-
4-	चपरासी	15/-	20/-
5-	स्वीपर	15/-	20/-
6-	सुपरवाइजर	15/-	20/-
7-	टेकिनकल सुपरवाइजर	30/-	35/-
8-	चौकीदार	15/-	20/-
9-	माली	15/-	20/-

उपरोक्त दरें 01 मई, 1990 से लागू की जायें ।

क्रमशः---------4,

260

261

<u>विषय क्रमांक-9</u> :- प्राधिकरण कार्यालय में विभिन्न स्वीकृत पदों की निरन्तरता स्वीकृति दिये जाने के सम्बन्ध में ।

इस विषय पर विचारविमर्श हुआ । सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि एजेण्डा नोट में संलग्नक चार्ट के अनुसार सभी पदों की निरन्तरता/स्वीकृति दिये जाने हेतु शासन को पत्र लिखा जाए ।

{कार्यवाही सचिव}

<u>विषय क्रमांक-10</u> :- राज्य आवास नीति के सूत्र 4·3·2 के सन्दर्भ में देहरादून विकास क्षेत्र में ग्रुप हाउसिंग के लिए मापदण्ड पुनरीक्षित करने के सम्बन्ध में ।

इस मामलें में यह निर्णय लिया गया कि पर्यावरण विभाग,देहरादून व मसूरी के परिपेक्ष्य में इस प्रस्ताव का परीक्षण कर सुस्पष्ट आख्या प्रस्तुत करें जिस पर प्राधिकरण की आगामी बैठक में विचार कर निर्णय लिया जायेगा ।

{कार्यवाही व0न0नि0}

<u>विषय क्रमांक-11</u> :- देहरादून में पत्रकारों के लिए आवासीय योजना के निर्माण/विकास के सम्बन्ध में ।

श्री एस0सी0बहुखण्डी,संयुक्त सचिव,उ0प्र0शासन,आवास अनुभाग ने बताया कि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित पत्रकारपुरम कालोनी का प्रस्ताव सूचना निदेशालय से प्राप्त हुआ था तथा इस मामलें में सूचना विभाग द्वारा ही सबसिडी की धनराशि लखनऊ विकास प्राधिकरण को उपलब्ध करायी गयी थी । उपाध्यक्ष ने बताया कि सूचना विभाग को इस विषय में पहले ही पत्र भेजा जा चुका है । यह निर्णय लिया गया कि सूचना विभाग को पुन: प्राधिकरण के निर्णय से अवगत कराया जाये ।

{कार्यवाही सचिव}

क्रमश: ---------5,

विषय क्रमांक- 12:- प्राधिकरण में मुख्य नगर नियोजक, मुख्य अभियन्ता तथा दो अतिरिक्त निर्माण खण्ड सृजित करने के सम्बन्ध में ।

इस विषय पर विचारविमर्श करने के उपरान्त फिलहाल एक निर्माण खण्ड सृजित करने का निर्णय लिया गया । शासन को इस विषय में अवगत कराने एवं आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये ।

{कार्यवाही सचिव}

विषय क्रमांक- 13 :- देहरादून महायोजना में ग्राम कांवली में अस्पताल व डिग्री कालेज के लिए दर्शायी गयी भूमि का भूउपयोग परिवर्तन करने के सम्बन्ध में ।

बैठक में इस प्रस्ताव से सम्बन्धित मानचित्र प्रस्तुत किया गया जिसमें अस्पताल व डिग्री कालेज हेतु आरक्षित भूमि में इंजीनियर्स एन्क्लेव फेज-प्रथम, का तलपट मानचित्र स्वीकृत होना दर्शाया गया था । इंजीनियर्स एन्क्लेव फेज-प्रथम, के तलपट मानचित्र की स्वीकृत पत्रावली भी देखी गयी जिसमें इस कालोनी को "आवासीय" क्षेत्र में दर्शाया गया था । अत: यह आभास होना स्वाभाविक है कि इंजीनियर्स एन्क्लेव, फेज-प्रथम, के कालोनाइजर ने अपने तलपट मानचित्र में कालोनी की भूमि को आवासीय भूउपयोग में दर्शाते हुए तलपट मानचित्र स्वीकृत कराया जबकि वास्तविकता में उनकी भूमि अस्पताल के लिए आरक्षित भूमि में पड़ती है । इस प्रकार गलत तथ्यों को प्रस्तुत करके तलपट मानचित्र स्वीकृत कराने के लिए कालोनाईजर को कारण बताओं नोटिस भेजा जाए । कालोनाईजर का उत्तर प्राप्त होने पर यह मामला प्राधिकरण के समक्ष पुन: प्रस्तुत किया जाए ।

{कार्यवाही वरिष्ठ नगर नियोजक}

विषय क्रमांक- 14 :- श्री दिगम्बर प्रसाद लखेड़ा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के क्रम में ग्राम सेवलाकंला, परगना केन्द्रीयदून जिला देहरादून के भूउपयोग परिवर्तन सम्बन्धी ।

श्री दिगम्बर प्रसाद लखेड़ा के भूउपयोग परिवर्तन सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचारविमर्श किया गया । सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि जिस भूमि का

क्रमश: -----------6,

भूउपयोग "पिकनिक तथा मनोरंजन" स्थल से "आवासीय" में किये जाने का प्रस्ताव है, पहले उस भूमि के बारे में इसका पता लगाना आवश्यक है कि यहां "पिकनिक तथा मनोरंजन" स्थल बनाया जाना व्यवहारिक होगा या नहीं ? इस विषय में यह भी निर्देश दिये गये कि पर्यटन विभाग से भी कहा जाए कि वे अपनी राय दें कि प्रश्नगत स्थल की भौगोलिक स्थिति एवं भूमि के अधिग्रहण में होनेवाले व्यय को ध्यान में रखते हुए मनोरंजन एवं पिकनिक स्थल बनाया जाना व्यवहारिक होगा या नहीं । इस सम्बन्ध में विस्तृत आख्या सहित प्रस्ताव अगली बैठक में रखा जाए ।

(कार्यवाही व0न0नि0)

विषय क्रमांक-15 :- अजबपुरकलां तथा इन्दिरापुरम, नेहरुपुरम, मसूरी में जलापूर्ति के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गयी ।

विषय क्रमांक-16 :- लाइब्रेरी के समीप दुमंजिले कार-पार्किंग के नीचे उपलब्ध फ्रेम के निर्माण के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव पर सहमति प्रकट की गयी तथा यह निर्देश दिए गए कि इन फ्रेमों पर प्राधिकरण द्वारा व्यवसायिक कार्यों हेतु निर्माण करके नीलामी द्वारा आबंटन किया जाए ।

विषय क्रमांक-17 :- होटल पेवेलियन के निर्माण के सम्बन्ध में ।

इस मामलें का पुनरीक्षण सहयुक्त नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग उ0प्र0, देहरादून से कराकर उनकी आख्या सहित प्रस्ताव प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाए ।

(कार्यवाही अधिशासी अभियंता)

विषय क्रमांक-18 :- श्री एम0एल0जुयाल द्वारा प्रस्तुत होटल मानचित्र पर स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

इस मामलें का परीक्षण सहयुक्त नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग उ0प्र0, देहरादून से कराकर उनकी आख्या सहित प्रस्ताव प्राधिकरण की आगामी

बैठक में प्रस्तुत किया जाए ।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता)

विषय क्रमांक-19 :- माल रोड पर श्री जगजीत सिंह द्वारा होटल के निर्माण के सम्बन्ध में ।

माल रोड़ पर निर्माण की अनुमति न देने के सम्बन्ध में प्राधिकरण की बैठक दिनांक 20-2-88 में निर्णय लिया जा चुका है । चूंकि प्रस्तावित निर्माण माल रोड़ पर है, अत: मानचित्र अस्वीकृत करने के निर्देश दिए गए ।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता)

विषय क्रमांक-20 :- तिब्बती मार्केट में प्राधिकरण द्वारा निर्मित रिक्त दूकानों के आबंटन के सम्बन्ध में ।

तिब्बती मार्केट में रिक्त दूकानों के आबंटन के बारे में प्रीमियम की उचित धनराशि निर्धारित करने हेतु उपाध्यक्ष को अधिकृत किया जाता है । यह भी निर्देश दिए जाते है कि प्राधिकरण इन रिक्त दूकानों को यथाशीघ्र आबंटित करने हेतु कार्यवाही करें ताकि आर्थिक क्षति न होने पावें ।

(कार्यवाही संयुक्त सचिव)

विषय क्रमांक-21 :- ग्राम कांवली में महरानी बाग तथा चोरखाले में रिक्त 3·36 एकड़ भूमि में से महरानी बाग की 2 एकड़ भूमि को अधिग्रहण से मुक्त किए जाने के सम्बन्ध में ।

यह निर्णय लिया गया कि महरानी बागवाले स्थल के बदले वैकल्पिक स्थल का चयन करके उपाध्यक्ष, अधीक्षण अभियन्ता सा0नि0वि0, तथा सहयुक्त नियोजक, संयुक्त निरीक्षण करके अपनी संस्तुति प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत करें तभी इस मामलें पर विचार किया जायेगा ।

चोरखाला में जिस 1·36 एकड़ भूमि को प्राईवेट नेगोसियेशन से क्रय करने की बात लिखी गयी है, इस सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया कि यदि

क्रमश:---------8,

भूअर्जन अधिनियम के अन्तर्गत इस भूमि को अधिग्रहित करना प्राधिकरण के वित्तीय हित में न हो तो प्राधिकरण की बैठक दिनांक 12-12-89 में आपसीवार्ता द्वारा भूमि क्रय किये जाने सम्बन्धी गठित समिति इस बारे में अपनी आख्या प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत करें ।

(कार्यवाही संयुक्त सचिव)

<u>विषय क्रमांक-22</u> :- ग्राम जाखन, परगना केन्द्रीयदून जिला देहरादून स्थित 54.29 एकड़ भूमि के अर्जन के सम्बन्ध में तथा अजबपुरकलां स्थित 0.97 एकड़ भूमि का अधिग्रहण प्रस्ताव वापिस लिए जाने के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव के अनुसार भूमि अधिग्रहण के प्रस्ताव वापस लेने की स्वीकृति प्रदान की गई ।

(कार्यवाही संयुक्त सचिव)

<u>विषय क्रमांक-23</u> :- जिला देहरादून में कैम्पटी बस स्टैण्ड, मसूरी के निर्माण हेतु होटल सेवाय, मसूरी की 0.17 एकड़ भूमि के अर्जन के संबंध में ।

नये सिरे से भूमि अर्जन करने हेतु सहमति प्रकट की गयी । तदानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए शासन को भी लिखा जाए ।

(कार्यवाही संयुक्त सचिव)

<u>विषय क्रमांक-24</u> :- <u>आपसीवार्ता द्वारा भूमि क्रय करने विषयक</u> ।

इस सम्बन्ध में यह निर्देश दिये गये कि प्राधिकरण की बैठक दिनांक-12-12-89 में आपसीवार्ता से भूमि क्रय करने से संबंधित गठित समिति की रिपोर्ट प्राधिकरण की बैठक में प्रस्तुत की जाया करें जिस पर विचार कर निर्णय लिया जायेगा ।

(कार्यवाही संयुक्त सचिव)

क्रमशः ---------9,

<u>विषय क्रमांक-25</u> :- प्राधिकरण के वादों के संचालन हेतु अधिवक्ताओं को अनुबन्धित करने के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव को इस संशोधन के साथ स्वीकृति प्रदान की गयी कि अनुबन्धित अधिवक्ता प्राधिकरण के खिलाफ कोई वाद नहीं लड़ेंगे ।

(कार्यवाही सचिव)

<u>विषय क्रमांक-26</u> :- प्रीमियर शॉपिंग काम्पलैक्स, राजेन्द्र नगर की कौलागढ़ रोड पर प्रस्तावित शॉपिंग काम्पलैक्स के निर्माण के सम्बन्ध में ।

इस निर्माण मानचित्र के सम्बन्ध में विचारविमर्श हुआ और यह निर्देश दिये गये कि पार्किंग स्पेस इत्यादि को सुनिश्चित करते हुए निर्माण की स्वीकृति दी जा सकती है । उपाध्यक्ष को इस विषय में अधिकृत किया जाता है ।

(कार्यवाही वाई०पी०शर्मा, स०अभि०)

<u>विषय क्रमांक-27</u> :- आवासीय क्षेत्रों में दस दूकानों तक के छोटे व्यवसायिक केन्द्रों की स्वीकृति हेतु उपाध्यक्ष को अधिकृत करने के सम्बन्ध में ।

आवासीय क्षेत्रों में 10 दूकानों तक के मानचित्रों की स्वीकृति हेतु उपाध्यक्ष को अधिकृत किया जाता है । सभी मामलों में भूउपयोग परिवर्तन शुल्क प्राप्त करने के उपरान्त मानचित्रों की स्वीकृति दी जाए । यह भी निर्देश दिये गये कि ऐसे मामलों में आवश्यकतानुसार सहयुक्त नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग उ0प्र0, देहरादून से भी राय ले ली जाए ।

(कार्यवाही सचिव/सं०सचिव/स०न०नि०)

क्रमशः:----------10,

(273)

विषय क्रमांक-28 :- मैं0 वासुधा एस्टेट प्रा0लि0 द्वारा प्रस्तुत फार्म हाउस के लेआउट प्लान के सम्बन्ध में ।

इस सम्बन्ध में सहयुक्त नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग उ0प्र0 देहरादून से प्राप्त आख्या पर विचारविमर्श हुआ । यह निर्णय लिया गया कि चूंकि इसका स्वामित्व केवल वासुधा एस्टेट के पास है, अतः इसमें 5 फार्म हाउस की स्वीकृति देना उचित नहीं होगा क्योंकि प्रत्येक फार्म हाउस के लिए अलग-अलग स्वामित्व होना चाहिए । तदानुसार कार्यवाही की जाए ।

(कार्यवाही वरिष्ठ नगर नियोजक)

विषय क्रमांक-29 :- अन्य महत्वपूर्ण शहरों की भांति देहरादून में भी अप्पूघर की स्थापना के सम्बन्ध में ।

सिद्धान्त रूप से सभी सदस्य देहरादून में अप्पूघर की स्थापना हेतु सहमत थे परन्तु अप्पूघर के लिए प्राधिकरण की सहस्त्रधारा रोड़ स्थित 3.5 एकड़ भूमि को पट्टे पर किन शर्तों पर आबंटित किया जाये, इस विषय पर आम सहमति नहीं हो सकी । अतः अप्पूधर की फिजीबिलिटी तथा इसके निर्माण से विकास प्राधिकरण को होनेवाले लाभ एवं प्रस्तावित प्राविधानों के विषय में सुसंगत विचार करने हेतु निम्न अधिकारियों की एक समिति गठित की गई जो अपनी आख्या प्राधिकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत करेगी ।

1- जिलाधिकारी, देहरादून ।
2- श्री हरबंश कपूर, विधायक, देहरादून ।
3- अधीक्षण अभियन्ता, सा0नि0वि0, देहरादून ।
4- सहायक निदेशक, पर्यटन विभाग ।
5- सहयुक्त नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग उ0प्र0, देहरादून ।

इस समिति की संयोजक, सचिव, मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण होंगी ।

(कार्यवाही सचिव)

क्रमशः--------11,

अनुपूरक विषय क्रमांक-1 :-

प्रस्ताव वापस लिया गया तथा यह निर्देश दिये गये कि इस योजना का लेआउट प्लान बनाते समय उन भूभागों को भी रास्ता दिया जाए जो अधिग्रहण से मुक्त किए गए है ।

{कार्यवाही संयुक्त सचिव/व0न0नि0}

अनुपूरक विषय क्रमांक-2 :-

~~यह~~ जांच की जाए कि प्राधिकरण के सचिव ने प्रश्नगत भूउपयोग प्रमाणपत्र महायोजना स्वीकृत होने से पूर्व दिया था अथवा उसके बाद । उक्त जांच आख्या सहित यह मामला प्राधिकरण की आगामी बैठक में पूर्ण विवरण सहित प्रस्तुत किया जाए ।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय :-

मसूरी में यूथ हॉस्टल के निर्माण के सम्बन्ध में निदेशालय जिला युवा कल्याण एवं प्रा0वि0द0 द्वारा प्रस्तावित भूमि के सम्बन्ध में वरिष्ठ नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग तथा संयुक्त निदेशक, पर्यावरण विभाग, उ0प्र0 को आपत्ति थी परन्तु शेष सदस्य इस स्थल पर यूथ हॉस्टल के निर्माण से सहमत थे । अत: बहुमत से यह निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित स्थल पर यूथ हॉस्टल के निर्माण की कार्यवाही प्राधिकरण से विधिवत् मानचित्र स्वीकृत कराकर शीघ्र करली जाए ।

{कार्यवाही अधि0अभियन्ता/सहायक अभियन्ता} मसूरी}

अन्त में अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी सदस्यों/अधिकारियों को धन्यवाद देते हुए बैठक समाप्त की गयी ।

{सुनिष्ठा सिंह} सचिव ।	{इफ्तखारूद्दीन} उपाध्यक्ष ।	{एस0एस0पांगती}, आयुक्त/अध्यक्ष ।